

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्क्षयपना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री पुनु यादव पिता- नुनु यादव और श्री दीपक यादव पिता नुनु यादव निवासी ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, ज़िला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा, थाना सं:55 (ऐयाती) खाता सं. 145, के अधीन प्लॉट सं. 1853, 1850, 986, 1615, 1616, 987, 989, 981 & 1618, कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, ज़िला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा, थाना सं:55 (ऐयाती) खाता सं. 145, के अधीन प्लॉट सं. 1853, 1850, 986, 1615, 1616, 987, 989, 981 & 1618, कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के तहत श्री पुनु यादव पिता- नुनु यादव और श्री दीपक यादव पिता नुनु यादव निवासी ग्राम: आरा, थाना: बालूमाथ, ज़िला: लातेहार(झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

(  
५२८